संख्या-959 /XXVIII-5-2009-06(सी0एम0 घोषणा)/2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग- 5 देहरादून: दिनांक 12-अगस्त, 2009

विषय: वित्तीय वर्ष 2009-10 में मा0 मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अन्तर्गत हरबर्टपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति।

महोदय,

मा0 मुख्य मंत्रीजी की घोषणा सं0-372/2009 दिनांक 25.07.2009 के सम्बन्ध में जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर हरबर्टपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की सैद्धान्तिक प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना के लिये रू0 1,000.00 (रू0 एक हजार मात्र) की प्रतीकात्मक धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- उक्त प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृत मानकों के अन्तर्गत अनुमन्यता तथा निर्माण हेतु स्वीकृत/अनुमन्य मानकों एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप प्रारम्भिक आगणन गठित कर महानिदेशक के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। शासन से आगणन की विधिवत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करते हुये स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी।

2- शासनादेश सं0-800/XXVIII-5-2007-137/2007 दिनांक 30.11.2007 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरबर्टपुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत प्रावकलन रू0 61.48 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निरस्त की जाती है एवं इस कार्य के लिये अवमुक्त रू0 2[illegible] लाख की धनराशि निर्माण इकाई से ब्याज सहित वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा [illegible] जायेगी।

3- कार्य प्रारम्भ एवं अग्रेतर धन आवंटन तभी किया जायेगा जब मानको के अनुसार आगणन प्रस्तुत कर उस पर शासन में वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति निर्गत हो जाय।

4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को निष्पादित कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उन्हे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6— कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमो का अनुपालन भी किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण इकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

7— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय व्ययक के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय 10–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उच्चीकरण 24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–312(1)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2009 दिनांक 12.08.2009 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या–1759 (1)/XXVIII–5–2009–06(सी0एम0 घोषणा)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्रीजी।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव